श्री वैष्णव कन्या / बालक छात्रावास

“नियमावली”

संस्कारों की अभिव्यक्ति का माध्यम हमारा छात्रावास

SHRI VAISHNAV JANKALYAN FOUNDATION

छात्रावास ऐसा जहाँ आप पायें पारिवारिक एवं सर्वसुविधा युक्त
सुरक्षित वातावरण ताकि छात्र व छात्राएँ प्राप्त कर सकें अध्ययन पर्यावरण !

श्री वैष्णव कन्या छात्रावास
177, राजमोहल्ला, इन्दौर - 452 002
दूरभाष : 0731-2349311 मो.: 97709 07703
E-mail : girlshostel@vaishnavindore.com

श्री वैष्णव बालक छात्रावास
स्कीम नं. 71, गुमास्ता नगर, इन्दौर 452 009
दूरभाष : 0731-2780012 मो.: 97709 07712
E-mail : boyshostel@vaishnavindore.com

छात्रों एवं छात्राओं के लिए नियमावली

छात्रावास सुविधाएँ

हेरीटेज
1884 सन् स्थापित

सुरक्षा आनन्द–देयी ध्यान

श्री वैष्णव बालक छात्रावास

ऐसा कहा जाता है कि
समुद्री किनारे शांति एवं ताजगी देते हैं –
छात्र एवं छात्राएं यही अनुभव प्राप्त
करते हैं हमारे छात्रावास में।

भूमिका

श्री वैष्णव सहायक कपड़ा मार्केट कमेटी की स्थापना वर्ष 1884 में की जाकर वर्ष 1951 में श्री क्लॉथ मार्केट वैष्णव हायर सेकेण्डरी स्कूल की स्थापना कर शैक्षणिक गतिविधियों की यात्रा प्रारंभ कर श्री वैष्णव पॉलीटेक्निक, श्री वैष्णव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, श्री क्लॉथ मार्केट वैष्णव बाल मंदिर कन्या उ.मा. विद्यालय, श्री वैष्णव प्रबन्ध एवं विज्ञान संस्थान, श्री वैष्णव कन्या विद्यालय, श्री वैष्णव एकेडमी तथा श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इन शैक्षणिक संस्थानों के प्रारम्भ होते ही न केवल प्रदेश बल्कि प्रदेश के बाहर के छात्र/छात्राओं ने इन संस्थानों में प्रवेश लेना प्रारम्भ कर दिया और बाहर से आने वाले छात्र/छात्राओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुये श्री वैष्णव शैक्षणिक एवं पारमार्थिक न्यास की बैठक दिनांक 26/09/1998 में श्री वैष्णव कन्या छात्रावास एवं श्री वैष्णव बालक छात्रावास के भवन निर्माण के प्रस्ताव पर स्वीकृती दी गई। वर्ष 2001 में श्री वैष्णव कन्या छात्रावास का भवन पूर्ण हुआ। इस भवन का विधिवत उद्घाटन पद्मश्री शालिनी ताईजी मोघे, शिक्षाविद् की अध्यक्षता में एवं श्रीमती सुमित्राजी महाजन, तत्कालीन केन्द्रीय संचार एवं सूचना प्रोद्योगिकी राज्यमंत्री, भारत सरकार, पूर्व लोकसभा स्पीकर के कर कमलों द्वारा दिनांक 05 सितम्बर 2002 शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्पन्न हुआ। वर्ष 2002 में श्री वैष्णव बालक छात्रावास का भवन निर्माण पूर्ण होकर विधिवत छात्रावास प्रारम्भ किया गया।

छात्रावास के संचालन हेतु कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त और नियमों की आवश्यकता होती है, इसके लिये छात्रावासों हेतु आदर्श नियम तैयार किये गये हैं।

पुरुषोत्तमदास पसारी
अध्यक्ष,
श्री वैष्णव जनकल्याण फाउंडेशन

देवेन्द्र कुमार मुछाल
संयोजक
श्री वैष्णव कन्या छात्रावास

प्रदीप चोपड़ा
संयोजक
श्री वैष्णव बालक छात्रावास

श्री वैष्णव जनकल्याण फाउंडेशन

छात्रावास नियम
2026-27
01-07-2026
से प्रभावशील

1.संक्षिप्त नाम

1. यह नियम श्री वैष्णव जनकल्याण फाउंडेशन के 'छात्रावास नियम' कहलायेंगे।
2. यह नियम उन सभी छात्रावासों पर प्रभावशील होंगे जिनका प्रबंधन एवं संचालन श्री वैष्णव जनकल्याण फाउंडेशन द्वारा किया जायेगा।

2. परिभाषाये

1. 'छात्रावास' से तात्पर्य उन छात्रावासों से है, जो श्री वैष्णव जनकल्याण फाउंडेशन द्वारा विधिवत संचालित है।
2. 'छात्र/छात्रा' से तात्पर्य उन विद्यार्थियों से है, जो किसी स्थानीय शैक्षणिक संस्था में अध्ययन कर रहे हों, एवं कामकाजी महिला / पुरुष से तात्पर्य जो बाहर से आकर किसी प्रतिष्ठित संस्था में कार्यरत है।
3. वार्डन से तात्पर्य उनसे है, जो छात्रावास की व्यवस्था हेतु प्रबंधन द्वारा नियुक्त किया गया हो।
4. 'शिक्षण संस्था' से तात्पर्य उन शिक्षण संस्थाओं से है, जिन्हें बोर्ड/कोचिंग/विश्वविद्यालय/भारत/राज्य शासन द्वारा स्वयं या उनके द्वारा अधिकृत संस्थाओं द्वारा विधिवत मान्यता प्रदान की गई है।

3. छात्रावास प्रवेश प्रणाली

1. छात्रावास में प्रतिवर्ष शिक्षण सत्र प्रारंभ होते ही प्रवेश प्रारंभ होंगे। प्रवेश शैक्षणिक सत्रानुसार 1 जुलाई से 30 जून तक के लिये होगा।
2. छात्रावास में प्रवेश पाने हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि अध्यक्ष/संयोजक द्वारा निर्धारित की जावेगी। आवेदन पत्र विलंब से प्राप्त होने की स्थिति में अध्यक्ष/संयोजक विशेष परिस्थितियों में विचार कर सकेंगे।
3. प्रवेश हेतु समस्त आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार किये जायेंगे। आवेदन सभी तरह से पूर्ण होना चाहिये।
4. छात्रावास में प्रवेश पाने हेतु विद्यार्थी को किसी स्थानीय शिक्षण संस्था / संबंधित कोचिंग संस्था में प्रविष्ट होना/कार्यरत होना अनिवार्य होगा। किसी स्थानीय शिक्षण संस्था में प्रतीक्षारत प्रवेश की अवस्था में विद्यार्थियों को अस्थायी प्रवेश दिया जा सकेगा।
5. छात्रावास में प्रवेश पाने के लिये संबंधित शैक्षणिक संस्था के प्रमुख की छात्रावास प्रवेश आवेदन पत्र पर अनुशंसा अनिवार्य होगी। कामकाजी महिला / पुरुष द्वारा सम्बन्धित संस्था में कार्यरत का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4. योग्यतायें

छात्रावास में प्रवेश पाने के लिये छात्र/छात्रा योग्य होगा यदि :-

1. वह गत वर्ष की वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है।
2. संयोजक द्वारा स्थान की उपलब्धता की स्थिति में केवल दो वर्ष के अनुत्तीर्ण छात्र/छात्रा को विशेष परिस्थितियों में प्रवेश दिया जा सकेगा, यदि प्रवेश की अन्य योग्यताओं की पूर्ति होती है।
3. छात्र/छात्रा का चयन छात्रावास प्रवेश समिति द्वारा गुणदोष के आधार पर किया जावेगा।

4. उन विद्यार्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जावेगी जो, श्री वैष्णव समूह के शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत हैं।

5. छात्रावास में प्रवेश देते समय छात्रावास में पूर्व से निवासरत छात्र/छात्राओं को प्राथमिकता दी जावेगी।

6. गतवर्ष के प्रवेशित छात्र/छात्राओं को निम्न आधार पर प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा यदि छात्र/छात्रा-

(अ) वार्षिक परीक्षा में दो से अधिक बार अनुत्तीर्ण हो गया हो।

(ब) आचरण उत्तम न रहा हो।

(स) विगत वर्ष अनुशासनहीनता की गई हो।

(द) अन्य किसी कारण से जिसे छात्रावास संचालन समिति उचित समझे, ऐसे कारणों से जो छात्र/छात्रा के नियंत्रण से बाहर हो जैसे अस्वस्थता पारिवारिक/दैविक संकट के कारण वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित न हो सका हो तो छात्रावास में पुनः प्रवेश हेतु विचार किया जा सकेगा ।

7. प्रत्येक छात्र/छात्रा को प्रवेश के पूर्व किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सक से चिकित्सकीय जाँच का प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा। मानसिक अथवा ऐसी किसी शारीरिक बीमारी से ग्रस्त छात्र/छात्रा को जिसका प्रभाव छात्रावास के अन्य छात्र/छात्राओं पर पड़े को छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा।

5. छात्रावास शुल्क

1. छात्रावास में प्रवेश हेतु इच्छुक छात्र/छात्रा से संलग्न परिशिष्ट 1 व 2 के अनुसार शुल्क लिया जायेगा -

2. छात्रावास शुल्क :- निर्धारित तिथि तक छात्रावास शुल्क जमा न करने पर रुपये 20/- प्रतिदिन शुल्क देय होगा।

3. छात्रावास शुल्क निम्नानुसार तीन किश्तों में लिया जायेगा -

(1) **प्रथम किश्त** – छात्रावास में प्रवेश एवं नवीनीकरण के समय (1 जुलाई सत्र के प्रारंभ में)

(2) द्वितीय किश्त - 30 सितम्बर तक तत्पश्चात् 20/- प्रतिदिन विलंब शुल्क देय होगा।

(3) **तृतीय किश्त -** 31 दिसम्बर तक तत्पश्चात् 20/- प्रतिदिन विलंब शुल्क देय होगा।

4. अन्य शुल्क :- छात्र/छात्रा द्वारा स्वयं का कूलर उपयोग में लेने पर वार्डन से पूर्वानुमति लेना होगी एवं इसके लिये 500/- प्रति छात्र/छात्रा को प्रतिमाह अग्रिम शुल्क देना होगा। यह शुल्क जिस माह में कूलर लगाया जायेगा, उस माह की पहली तारीख से लिया जावेगा। बीच में कूलर हटाने पर यह शुल्क वापस नहीं किया जावेगा और न ही पुनः लगाने पर समायोजित होगा।

5. छात्रावास संचालन समिति द्वारा शुल्क में वृद्धि अथवा संशोधन करने का किसी भी समय अधिकार सुरक्षित है।

6. अंतिम रूप से छात्रावास छोड़ने पर कॉशनमनी छात्र/छात्रा को चैक द्वारा वापस की जायेगी। यदि छात्र/छात्रा से वसूली योग्य कोई राशि है, तो उसे काटकर शेष राशि भुगतान किया जावेगा। काशनमनी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

6. शुल्क में छूट/वा पसी संबंधी प्रावधान / अन्य अतिरिक्त सुविधा

(अ) छात्रावास शुल्क :-

(1) किसी छात्र/छात्रा द्वारा छात्रावास में प्रवेश लेकर शुल्क जमा करने के उपरांत किसी अपरिहार्य कारण से छात्रावास में निवास नहीं करता है एवं प्रवेश निरस्त करना चाहता है तो प्रवेश दिनांक से एक माह के अंदर आवेदन देने पर ही प्रवेश निरस्त किया जावेगा अन्यथा नहीं। यदि आवेदन एक माह के अंदर प्राप्त होगा तो छात्र/छात्रा द्वारा जमा की गई राशि का सिर्फ 90 प्रतिशत राशि छात्रावास द्वारा वापस की जावेगी।

(2) कोई छात्र/छात्रा यदि छात्रावास में प्रवेश लेने के तीन माह के अंदर छात्रावास छोड़ता है, तो छात्र/छात्रा द्वारा जमा की गई प्रथम किश्त की शेष राशि वापस नहीं की जावेगी।

7. सामान्य नियम

(अ) छात्रावास सम्बन्धी :-

(1) किसी भी छात्र/छात्रा को कमरा आवंटित करने, बीच में परिवर्तित करने आदि का छात्रावास वार्डन को पूर्ण अधिकार रहेगा।

(2) छात्र/छात्रा को आवंटित कमरे में किसी अन्य छात्र/छात्रा या किसी अन्य व्यक्ति को रखने की अनुमति कदापि नहीं रहेगी, परन्तु अपरिहार्य कारणों से कन्या छात्रावास में छात्रा की माताजी / बहन एवं बालक छात्रावास में छात्र के पिता/भाई को पूर्णरूपेण अस्थाई रूप से अधिकतम 3 दिवस के लिये विशेष कारण होने पर रहने की अनुमति अध्यक्ष/संयोजक द्वारा दी जा सकेगी।

(3) किसी भी छात्र/छात्रा को अपने कमरे में छात्रावास की ट्यूबलाईट, पंखा एवं टेबल लेम्प के अतिरिक्त अन्य कोई भी विद्युत उपकरण जैसे हीटर, वाटर हीटर, आयरन-प्रेस, स्पीकर आदि उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। यदि ये उपकरण किसी के पास पाये जायेंगे तो तत्काल जब्त कर लिये जावेंगे, परन्तु सौन्दर्य प्रसाधन से संबंधित केवल बिजली उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति दी जा सकेगी ।

(4) किसी भी छात्रा को रात्रि 9 बजे के बाद बिना वार्डन की लिखित स्वीकृति के एवं छात्र को रात्रि 10.00 बजे के बाद बिना वार्डन की लिखित स्वीकृति के छात्रावास से बाहर रहने की अनुमति नहीं रहेगी।

(5) सप्ताह के सातों दिन निजी कार्य अथवा खरीदी आदि के लिये छात्रावास से बाहर जाने की निम्नानुसार छूट रहेगी।-

(अ) कन्या छात्रावास हेतु - प्रातः 8.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक

(ब) बालक छात्रावास हेतु – प्रातः 8.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक

(6) छात्रावास में किसी भी प्रकार का कोई हथियार या अवैधानिक वस्तु रखना पूर्णतः प्रतिबंधित है, यहां तक कि बड़े चाकू या छूरे आदि रखना भी प्रतिबंधित है।

(7) छात्रावास में किसी भी प्रकार का मांसाहार, नशा स्वयं करना अथवा छात्र/छात्राओं को करवाना, नशीली वस्तु रखना, धूम्रपान, परिसर के बाहर से भी नशा करके छात्रावास में प्रवेश निषेध रहेगा।

(8) किसी भी छात्र/छात्रा की कमरे में प्रदत्त सामग्री की जवाबदारी स्वयं की रहेगी। इसके अतिरिक्त कमरों के बाहर की छात्रावास की समस्त सम्पत्तियों एवं सामान की जिम्मेदारी सभी छात्र/छात्राओं की सामूहिक रुप से रहेगी। छात्रावास की किसी भी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाये जाने पर सम्बंधित छात्र/छात्रा अथवा नुकसान करने वाले छात्र/छात्रा का पता नहीं लगने पर नुकसान की क्षतिपूर्ति सभी छात्र/छात्राओं से समान रूप से की जावेगी।

(9) किसी भी छात्र/छात्रा द्वारा स्वयं अथवा छात्रावास के किसी भी कर्मचारी से अशिष्टता या दुर्व्यवहार नहीं किया जावेगा।

(10) छात्रावास में प्रवेश के समय माता/पिता या अभिभावक को साथ लाना आवश्यक है, परन्तु कार्यकारी महिलाओं/पुरुष को इस नियम से छूट रहेगी।

(11) छात्रावास में माता-पिता, अधिकृत स्थानीय पालक/संरक्षक को प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक छात्र/छात्रा से मिलने की सुविधा रहेगी।

(12) उपरोक्त के अतिरिक्त किसी भी मित्र/अन्य संबंधियों को मिलने की अनुमति नहीं रहेगी। विशेष परिस्थितियों में माता/पिता/पालक/संरक्षक के लिखित निवेदन पर ही मित्र को छोड़कर अन्य संबंधियों से मिलने की अनुमति दी जा सकेगी।

(13) छात्र/छात्राओं को छात्रावास से स्थानीय पालक/स्वयं के घर अवकाश पर जाने की स्थिति में अवकाश पर जाने से कम से कम एक दिन पूर्व वार्डन के पास अवकाश आवेदन प्रस्तुत करना होगा। जिसमें माता/पिता अथवा स्थानीय पालक की स्वीकृति रहेगी। इसी तरह अवकाश से वापस लौटने की सूचना भी निर्धारित प्रारूप में अवकाश से लौटते ही वार्डन को देना होगी। दोनों ही आवेदनों के प्रारुप छात्रावास में उपलब्ध रहेंगे।

(14) छात्र/छात्राओं को किसी भी कार्य के लिये छात्रावास से बाहर जाते व वापस लौटते समय वाचमेन के पास रखे हुए मुख्य प्रवेश द्वार पंजी में प्रविष्टि करना अनिवार्य रहेगी।

(15) छात्रावास में निवासरत छात्र/छात्राओं को रात्रि में होने वाली उपस्थिति हेतु प्रार्थना हॉल में उपस्थित रहना अनिवार्य रहेगा। अनुपस्थिति की दशा में वार्डन को रात्रि 8.30 तक लिखित सूचना देना आवश्यक होगा माह में 3 दिन से अधिक अनुपस्थित रहने की अनुमति नहीं रहेगी। 3 दिन से अधिक अनुपस्थित रहने पर संबंधित छात्र/छात्रा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(16) छात्रावास में निवासरत छात्र/छात्राओं हेतु जन्म दिन का आयोजन प्रबंधन द्वारा रात्रि 9.30 बजे प्रार्थना हॉल में प्रार्थना के पश्चात् सामूहिक रुप से किया जायेगा। केक एवं सजावट आदि की व्यवस्था प्रबंधन द्वारा की जायेगी। कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता करने पर अर्थदण्ड सहित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(17) छात्रावास में रेगिंग पूर्णतः प्रतिबंधित है। रैगिंग की शिकायत पाये जाने पर संलग्न छात्र/छात्राओं के खिलाफ रैगिंग संबंधी नियमों के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जावेगी।

(18) छात्रावास द्वारा छात्रावास के कमरों में प्रदत्त सामग्री व स्वयं की सामग्री, नगदी, मोबाईल आदि की जवाबदारी छात्र/छात्रा की स्वयं की होगी। छात्रावास के पार्किंग में रखे हुए छात्र/छात्रा के वाहन की जवाबदारी भी छात्र/छात्रा की स्वयं की ही होगी। संबंधित छात्र/छात्रा द्वारा पार्किंग में रखे वाहन की जानकारी वार्डन को अनिवार्य रुप से दी जावेगी।

(19) किसी भी प्रकार की पुलिस कार्यवाही के लिये छात्र/छात्रा स्वयं उत्तरदायी रहेंगे।

(20) कमरों की दिवालों पर किसी भी प्रकार की गंदगी या अवांछित /अश्लील चित्र आदि लगाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। छात्रावास के कमरों अथवा परिसर के किसी भी स्थान का रंग–रौगन खराब करने पर अर्थदण्ड किया जावेगा।

(21) शैक्षणिक सत्र के अन्त में वार्षिक /सेमेस्टर परीक्षा समाप्त होने तुरंत पश्चात छात्र/छात्रा को छात्रावास का कमरा पूर्णरुप से खाली कर छात्रावास की सम्पूर्ण सामग्री वार्डन को सौंपकर जाना होगा।

(22) छात्रावास में पानी–बिजली आदि की व्यवस्था उपलब्धता अनुसार ही की जा सकेगी ।

(23) जब भी पिता/पालक के स्थानीय पते, दूरभाष आदि में कोई परिवर्तन होता है, तो उसकी सूचना तत्काल छात्रावास वार्डन को देना अनिवार्य होगी।

(24) छात्र/छात्रा के कमरे के बाहर जाने पर लाइट, पंखे, AC, नल आदि बंद करना अनिवार्य है। इस नियम की अवहेलना की जाती है तो त्रुटि करने वाले त्रुटिकर्ता से छात्रावास द्वारा संधारित ''त्रुटि पंजी'' में अभिलिखित कराया जायेगा। इस प्रकार की 3 बार निरंतर त्रुटि करने पर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(25) किसी भी छात्र/छात्रा को प्रवेश देने, न देने या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार छात्रावास संचालन समिति के पास रहेगा जिसके लिये कारण बताना आवश्यक नहीं है।

8. छात्रावास मेस संबंधी नियम :-

(1) सभी छात्र/छात्राओं को छात्रावास द्वारा संचालित भोजनालय में ही निर्धारित समय में ही भोजन करना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में भोजन मेस के बाहर नहीं जावेगा।

(2) किसी भी छात्र/छात्रा को किसी भी परिस्थिति में अपने कमरे में न तो भोजन, चाय, नाश्ता आदि बनाने की और न ही करने की अनुमति रहेगी।

(3) छात्र/छात्राओं को थाली में भोजन सामग्री स्वयं लेनी होगी। वाटर कूलर से पानी भी स्वयं लेना होगा।

(4) एक साथ सभी छात्र/छात्राओं को तत्काल गरम चपाती की आपूर्ति व्यवहारिक रुप से संभव नहीं होती है, अतः केसरोल में रखी हुई चपातियाँ लेना होगी।

(5) मेस व्यवस्था में किसी भी प्रकार की शिकायत वार्डन को करना होगी। मेस में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था करने अथवा मेस कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने पर संबंधित छात्र/छात्रा पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(6) छात्र/छात्राओं के बाहर से आने वाले अभिभावकों को अधिकतम 3 दिवस तथा इसके अलावा अन्य किसी को भी छात्रावास भोजन कक्ष में भोजन करने की अनुमति नहीं रहेगी।

(7) भोजन थाली में भोजन छोड़ने वाले छात्र/छात्राओं पर छात्रावास द्वारा संधारित ''त्रुटि पंजी'' में अभिलिखित कराया जायेगा। इस प्रकार की 3 बार त्रुटि करने पर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(8) माह के अंतिम रविवार की शाम को मेस में अवकाश रहेगा। बाकी रविवार के सायंकालीन भोजन में दाल-चावल, चपाती व एक सब्जी ही दिये जावेंगे।

(9) उपवास वाले छात्र/छात्राओं को फरियाल हेतु एक दिन पूर्व रात्रि में मेस प्रबंधक को अपना नाम देना होगा। तत्काल कहने पर छात्र/छात्रा के लिए फरियाल की व्यवस्था संभव नहीं होगी।

(10) टिफिन ले जाने वाले छात्र/छात्रा को टिफिन में समुचित मात्रा में ही भोजन दिया जायेगा।

9. छात्रावास से निष्कासन

किसी भी छात्र /छात्रा को निष्कासित करने का अधिकार छात्रावास संचालन समिति या न्यास के अध्यक्ष को रहेगा। यदि :-

(1) छात्र/छात्रा छात्रावास में अस्थायी (इन्टेरिम) प्रवेश के पश्चात् एक माह के अन्दर किसी स्थानीय शैक्षणिक संस्था में प्रविष्ट नहीं हो गया है।

(2) जाँच के पश्चात् यदि यह पाया जावे कि, छात्र/छात्रा ने गलत जानकारी प्रस्तुत की है या अन्य किसी कारण से उसका प्रवेश छात्रावास के नियमों के विरुद्ध है।

(3) छात्र/छात्रा नियमित रुप से विश्वविद्यालय /महाविद्यालय/विद्यालय अथवा छात्रावास से अनुपस्थित रहता हो।

(4) छात्र/छात्रा की उपस्थिति से छात्रावास के अन्य छात्र/छात्रा के लिये अनुशासन या हानिकारक प्रभाव की दृष्टि से आपत्तिजनक हो या छात्र/छात्रा किसी संक्रामक रोग से पीड़ित हो।

(5) छात्र/छात्रा यदि किसी अवांछित या अवैधानिक गतिविधियों में लिप्त हो।

(6) छात्र/छात्रा ने यदि छात्रावास के नियमों या वार्डन के आदेशों की अवहेलना की हो।

10. संशोधन एवं निरस्तीकरण

छात्रावास नियमों की व्याख्या निर्देश हेतु श्री वैष्णव जनकल्याण फाउण्डेशन का अंतिम निर्णय सभी को मान्य होगा। नियमों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन, संशोधन, निरस्तीकरण का पूर्ण अधिकार श्री वैष्णव जनकल्याण फाउण्डेशन के पास सुरक्षित है।

कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता,
हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को हमारा मित्र या शत्रु बनाते है।

-गौतम बुद्ध

समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, किसी व्यक्ति का नहीं।

-स्वामी विवेकानन्द

क्रोध मुर्खता से प्रारंभ होता है और पश्चाताप में समाप्त होता है।

सकारात्मक सोच   नियंत्रण   दिशा

श्री वैष्णव कन्या छात्रावास

हमें है आपकी चिंता !

हमें ध्यान है आपकी व्यक्तिगत स्वाधीनता एवं प्रतिष्ठा की !

हम करते हैं आपका सम्मान !

हमारा प्रयास है कि आप एक जिम्मेदार एवं परिपूर्ण उत्तीर्ण नागरिक बनें।

कन्या छात्रावास

Rules are not born on the streets. They are in the mind. Enjoy them.

बालक छात्रावास

Girls Hostel

Boys Hostel

छात्रावास संचालक :

श्री वैष्णव जनकल्याण फाउंडेशन

177, जवाहर मार्ग, राजमोहल्ला, इन्दौर - 452 002 (म.प्र.)

दूरभाष : 0731-2341187

email : admin@vaishnavindore.com

पूछताछ एवं सुझाव केन्द्र

पुरुषोत्तम दास पसारी - अध्यक्ष

देवेन्द्र कुमार मुछाल – प्रबन्ध संचालक